



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 4-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 4, 2019 (PAUSA 14, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

आदेश

दिनांक 4 जनवरी, 2019

संख्या 6/4/2018-1मन्त्रिमण्डल:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में,-

1. "इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से)" शीर्ष, कोष्ठकों तथा चिहनों के स्थान पर, "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग, (सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग, के माध्यम से)" शीर्ष, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
2. क्रम संख्या 11 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:-

"12, संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी मामलों में राज्य की नीति तथा दूरसंचार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।"।

चण्डीगढ़:

दिनांक 14 दिसम्बर, 2018.

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 2 जनवरी, 2019.

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
CABINET SECRETARIAT
ORDER

The 4th January, 2019

No. 6/4/2018.-1Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadev Narayan Arya, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Amendment Rules, 2018.
2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule,-
 - (i) for the heading, brackets and signs "ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Electronics and Information Technology Department)", the heading, brackets and signs "INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Information Technology, Electronics and Communication, Department)" shall be substituted;
 - (ii) after serial numbers 11, and entries thereagainst the following serial number and entries thereagainst shall be added, at the end, namely:-

"12. To ensure the implementation of the State's policy in all matters concerning Communication Technology and all other directions/guidelines issued by the Government of India from time to time on Telecommunication Sector."

Chandigarh:
The 14th December, 2018.

SATYADEV NARAYAN ARYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 2nd January, 2019.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.